ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः 09 /2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलकमार्ग, लखनऊ- 226001
दिनांकः मार्च 7 ,2018

विषयः—मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमि0 अपील संख्याः 2561/2017 सचिन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 21.02.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम—1989 यथासंशोधित (एक्ट नं0—1)2016 की धारा—14ए(2) का विश्लेषण करते हुए मा0उच्च न्यायालय द्वारा सन्दर्भित क्रिमि0 अपील में अवधारित किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में योजित अपील पर सुनवाई के समय विशेष न्यायालय(Special Court) अथवा अनन्य न्यायालय(Exclusive Court) द्वारा जमानत स्वीकृति अथवा अस्वीकृति विषयक पारित आदेश की प्रमाणित प्रति सहित विशेष न्यायालय(Special Court) अथवा अनन्य न्यायालय(Exclusive Court) के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सम्पन्न समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति साक्ष्य अधिनियम की धारा—76 के अनुसार प्राप्त करके उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। मा0उच्च न्यायालय द्वारा सन्दर्भित आदेश के पृष्ठ—43 पर उल्लिखित निर्देश निम्नवत् हैं :—

"This Court is of opinion that the Court while hearing an appeal under Section 14A(2) of the Act would be obliged to secure by summoning before proceeding with the hearing of an appeal certified/authenticated copies of the entire record of the proceedings of the bail application where bail has been granted or rejected by requiring the Special Court or the Exclusive Special Court to send a duly certified and authenticated copy of the entire proceedings certified by the Presiding Officer of Special Court or the Exclusive Special Court from whose order the appeal has been filed under Section 14A(2) of the Act in the manner prescribed by Section 76 of the Evidence Act. The contents of the record would include all documents and proceedings from the presentation of the bail application to the conclusion, copy of the order impugned, copy of the bail application alongwith its annexures, if any, filed as enumerated:

(i) a certified copy of the order of the Special Court granting or refusing bail;

(ii) a certified copy of the bail application alongwith its annexures, if any, filed by the accused before the Special Court or the exclusive Special Court as the case may be;

(iii) a certified copy of any affidavit or any document which has been relied by the accused in support of his bail application before the Special Court or the Exclusive Special Court, as the case may be;

(iv) a certified copy of the comments (parawise reply to the bail application) filed by the State/prosecution before the Special Court/Exclusive Special Court in response to the bail application brought by the accused;

(v) a certified copy of the order sheet of the Special Court/Exclusive Special Court relating to the bail application alone from the date of its institution to the date of its disposal alongwith a certified copy of the remand file as also the index for the bail application/proceedings drawn up by the office, if any"

2. उपरोक्त के अतिरिक्त श्री विनोद कान्त, अपर महाधिवक्ता, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा–15ए(3) एवं 15ए(5) का भी अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा करते हुए मुकदमें से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित सम्पूर्ण अद्यतन वाद दैनिकी शासकीय अधिवक्ता अथवा अपर शासकीय अधिवक्ता को द0प्र0सं0 की धारा–439 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की भांति ही आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

3. अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 यथासंशोधित–2016 की धारा–15ए(3) एवं 15ए(5) निम्नवत् है:–

"15(A)-(3) A victim or his dependent shall have the right to reasonable, accurate, and timely notice of any Court proceeding including any bail proceeding and the Special Public Prosecuter or the State Government shall inform the victim about any proceedings under this Act.

15(A)-(5) A victim or his dependent shall be entitled to be heard at any proceeding under this Act in respect of bail, discharge, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments and file written submission on conviction, acquittal or sentencing."

4. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 यथासंशोधित 2016 के सन्दर्भित प्राविधानों के अनुपालनार्थ मासिक अपराध गोष्ठी में चर्चा करके समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें।

5. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों तथा अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 यथासंशोधित 2016 की धारा–15ए(3) एवं 15ए(5) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जिससे भविष्य में उपरोक्त अधिनियम में योजित अपील, जमानत प्रार्थना पत्र, पुर्नविलोकन अथवा पुनरीक्षण आदि न्यायिक कार्यवाहियों में कोई विधिक अवरोध उत्पन्न न हो सके।

भवदीय,
7.3.18
(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि</u> :– <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–</u>

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।